

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०-२/सी०१-२०-०४/२०१३ (खंड) /श्री रणजीत कुमार रजक, पुलिस उपाधीक्षक (परिक्ष्यमान) (बि०पु०से०), सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर के विरुद्ध पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई के पत्रांक-५३ दिनांक ०५.०१.२०१६ द्वारा प्रतिवेदित आर्थिक अपराध थाना कांड सं०-२३/१२ दिनांक २०.१०.२०१२ के अंतर्गत धारा-४२० ४६८, ४७३, १२० बी० भा०द०वि० के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त होने एवं उक्त मामले में माननीय न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी पटना के द्वारा दिनांक ११.०५.२०१५ को संज्ञान Cognizance लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक अपराध में संलिप्त पाये जाने के आरोप में इन्हें बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली २००५ के नियम ९ (१) (ग) के अंतर्गत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

- (२) निलंबन के अवधि में श्री रजक का मुख्यालय पुलिस उप-महानिरीक्षक कोसी प्रमंडल, सहरसा रहेगा।
- (३) निलंबन की अवधि में श्री रजक को बिहार सेवा संहिता के नियम ९६ के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
- (४) निलंबन की अवधि में श्री रजक सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
- (५) श्री रजक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी।

ह०/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं०-२/सी०१-२०-०४/२०१३ (खंड) /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/संयुक्त सचिव, प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित

ज्ञाप सं०-२/सी०१-२०-०४/२०१३ (खंड) २७७०/पटना, दिनांक ८/५/१६

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक कोसी प्रमंडल, सहरसा/ सभी जिलाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/प्राचार्य सी०टी०एस० नाथनगर, भागलपुर/श्री रणजीत कुमार रजक, पुलिस उपाधीक्षक (परिक्ष्यमान) (बि०पु०से०), सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर, भागलपुर/आई०टी० प्रबंधक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संबंधित उपाधीक्षक को अपने स्तर से तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।